

कार्यालय अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, जयपुर डिस्कॉम
एवं अध्यक्ष अजमेर, जोधपुर डिस्कॉम
विद्युत भवन, ज्योति नगर, जयपुर


क्रमांक: अध्यक्ष (डिस्कॉमस)/अअ (ग्रा.वि.)/प.1201/प्रे. 106 जयपुर,दिनांक 21.4.08

आदेश

विषय:- मार्च 2003 तक के आवेदित स्पेशल श्रेणी के कृषि आवेदको को सामान्य श्रेणी में परिवर्तन करने के क्रम में।


आर.ई.ओ.-190 के द्वारा 31 मार्च 2003 तक के सामान्य श्रेणी के विचाराधीन कृषि आवेदकों एवं समस्त स्पेशल श्रेणी के कृषि आवेदकों को वर्ष 2008-09 में मांग पत्र जारी कर कनेक्शन देने है।

जनप्रतिनिधियों की मांग एवं किसानों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि 31 मार्च 2003 तक के स्पेशल श्रेणी के कृषि आवेदकों को सामान्य श्रेणी की प्राथमिकता में मूल आवेदन तिथि के अनुसार इन्द्राज करके मांग पत्र नियमानुसार जारी कर कनेक्शन दे दिये जावें।


(आर.जी. गुप्ता)
अध्यक्ष डिस्कॉमस

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1-उर्जा सचिव,राजस्थान सरकार,जयपुर ।
- 2-प्रबन्ध निदेशक,अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. अजमेर/जोधपुर।
- 3-निदेशक (तकनीकी/वित्त) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर ।
- 4-मुख्य अभियन्ता () जयपुर/अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर/अजमेर/जोधपुर ।
- 5-सम्भागीय मुख्य अभियन्ता () जयपुर/अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि.
- 6-वित्तीय सलाहकार एवं लेखा नियन्त्रक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.जयपुर ।
- 7-प्रावेधिक सहायक,अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.जयपुर ।
- 8-अधीक्षण अभियन्ता () जयपुर/अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर/अजमेर/जोधपुर ।
- 9-प्रावेधिक सहायक,राज्य मंत्री,उर्जा विभाग,विद्युत भवन,जयपुर ।
- 10-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), जयपुर/अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि..... ।
- 11-मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी () जयपुर/अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर/अजमेर/जोधपुर ।
- 12-अधिशाषी अभियन्ता (पवस/ /ग्रिवीन्सेज/एमआईएस) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.
- 13-विशिष्ट सहायक,सलाहकार (एम), मुख्य मंत्री,सचिवालय,राज0 सरकार,जयपुर ।
- 14-जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.जयपुर ।
- 15-निजी सचिव, मा0 उर्जा मंत्री,राजस्थान सरकार,जयपुर को मा0 उर्जा मंत्री के सूचनार्थ ।
- 16-निजी सहायक, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,राज0 राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि.,जयपुर को मा0 अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के सूचनार्थ ।
- 17-कम्पनी सचिव, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि./राज0राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि.जयपुर।
- 18-इन्चार्ज,कन्ट्रोल रूम मुख्य अभियन्ता (जयपुर जोन) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.जयपुर।


अधीक्षण अभियन्ता (ग्रा.वि)

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड.
(ग्रामीण विद्युतिकरण वृत्त)

क./जे.पी.डी/अ.अ.(आर.ई)/प. 1201 /प्रे. 204 दिनांक 30-4-08


स्पष्टीकरण

विषय:—मार्च 2008 तक के आवेदित स्पेशल श्रेणी के कृषि आवेदको को सामान्य श्रेणी में परिवर्तन करने के काम में।

माननीय अध्यक्ष डिस्कॉम्स के आदेश संख्या क्रमांक:अध्यक्ष (डिस्कॉम्स) /अअ(प्रा. वि.)/प.1201/प्रे.106 जयपुर दिनांक—21.4.2008 (आर.ई.ओ.—194) के द्वारा 31 मार्च 2003 तक के स्पेशल श्रेणी के कृषि आवेदको को सामान्य श्रेणी की प्राथमिकता में मूल आवेदन तिथि के अनुसार इन्द्राज करके नियमानुसार मांग पत्र जारी करने के आदेश प्रसारित किये गये थे। उक्त आदेश के सम्बन्ध में कुछ भ्रान्तियाँ हैं जिनको निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जाता है:—

1. जिन कृषि श्रेणी आवेदको ने पूर्व में साधारण श्रेणी में आवेदन किया था परन्तु 31.3.03 तक स्पेशल श्रेणी में नियमानुसार अग्रिम राशि जमा करवाकर स्पेशल श्रेणी में परिवर्तन करा लिया था, ऐसे आवेदको की साधारण श्रेणी की आवेदन तिथि को सामान्य श्रेणी के प्राथमिकता रजिस्टर में इन्द्राज कर नियमानुसार मांग पत्र जारी किये जावें।
2. जिन स्पेशल श्रेणी के आवेदको ने 31.3.2003 तक सीधे ही स्पेशल श्रेणी में आवेदन किया है उनकी आवेदन तिथि को सामान्य श्रेणी के प्राथमिकता रजिस्टर में इन्द्राज कर नियमानुसार मांग पत्र जारी किये जावें।
3. 31.3.2003 तक आवेदित स्पेशल श्रेणी के जिन आवेदको के स्पेशल श्रेणी में मांग पत्र जारी कर दिये गये हैं उनसे मांग पत्र की राशि साधारण श्रेणी के आवेदको के अनुसार जमा करवायी जावे।

उक्त आदेश अध्यक्ष डिस्कॉम्स के निर्देशानुसार जारी किये जा रहे हैं।


(एम. एल गुप्ता)
अधीक्षण अभियन्ता (आर.ई.)
जयपुर डिस्कॉम जयपुर।